'अप्प दीपो भव'

वॉयस ऑफ बुद्धा

Postal Reg. No.-DL(ND)-11/6144/2013-15
WPP Licence No.- U(C)-101/2013-15
R.N.I. No. 68180/98

प्रकाशन तिथि– 15 अक्टूबर, 2013

मूल्य : पाँच रूपये

प्रेषक : डॉ0 उदित राज (राम राज) चेयरमैन – जस्टिस पब्लिकेशंस, टी–22, अतुल ग्रोव रोड, क्नॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001, फोन : 23354841–42

Website : www.uditraj.com E-mail: dr.uditraj@gmail.com

● वर्ष : 16 ● अंक 22 ● पाक्षिक ● द्विभाषी ● 1 से 15 अक्टूबर, 2013

वैर से वैर शांत नहीं होता

–गौतम बुद्ध

जो मायावती ने नहीं किया, राहुल गांधी करें

डॉ. उदित राज

तालकटोरा स्टेडियम, दिल्ली में 8 अक्टूबर को राहुल गांधी जी ने कहा कि सुश्री मायावती किसी दलित नेता को उभरने नहीं देती हैं। उन्होंने सच कहा। इसका स्वागत किया जाना चाहिए कि उन्हें दलित सरोकार है। वास्तव में दलित नेताओं का अभाव है। देश में सवर्णों एवं पिछड़ों के मुकाबले में दलित नेता नहीं के बराबर हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की रैली होती है तो मंच पर लाल कृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज, अरुन जेटली, नितिन गडकरी, नरेन्द्र मोदी, मुरली मनोहर जोशी आदि सवर्ण दिग्गज नेता तो दिखते हैं, लेकिन एक भी दलित नहीं होता। उसी तरह से कांग्रेस के मंच में दलित नेता नहीं दिखते और कभी–कभार होते भी हैं तो पार्टी द्वारा प्रमाणित दलित नेता न कि दलित समाज द्वारा। पार्टियों के अलावा मीडिया की भी बड़ी भूमिका होती है नेता बनाने में। जब 2010 में अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर गांधी समाधि से जंतर–मंतर तक प्रदर्शन किया था तो 100 से भी कम लोग उनके साथ थे। 2011 में जब मीडिया ने उन्हें प्रोजेक्ट किया तो वे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के स्तर पर अपनी पहचान बना गए। भारत जातियों का देश है और जब तक सभी जातियों की समुचित भागीदारी नहीं होगी, देश कमजोर ही रहेगा और विकास में बाधा पड़ती रहेगी। नेता अपनी जाति को जाग्रत करता है और दलितों में तो बहुत ज्यादा ही करने की जरूरत है, क्योंकि यह समाज अभी भी पायदान की अंतिम सीढ़ी पर है। यह जब ऊपर आएगा तो सिर्फ इसका ही नहीं बल्कि राष्ट्र का उत्थान होगा।

नेता को बनाया भी जा सकता है और नहीं भी। केवल पार्टी या नेतृत्व चाहे कि बड़ा दलित नेता पैदा हो जाए, वह भी संभव नहीं है। अगर न उभरने देने का मन बना लिया तो भी बड़ा दलित नेतृत्व नहीं पैदा हो सकता। प्रश्न उठता है कि क्या कांग्रेस में दलित नेतृत्व है? जवाब मिलेगा कि वहां भी मध्यम स्तर के नेता हैं। कांग्रेस ने क्यों नहीं बड़े दलित नेतृत्व उभारने का कार्य किया? वर्तमान में कांग्रेस के पास एक भी ऐसा दलित चेहरा नहीं है, जो राष्ट्रीय स्तर का हो। कांग्रेस चाहे भी तो पैदा नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पास इस समय ऐसा कोई दलित है ही नहीं। बड़ा नेतृत्व उभारने के लिए पार्टी और मीडिया आदि का सहयोग तो जरूरी है, लेकिन खुद में प्रतिभा और क्षमता न हो तो संभव नहीं है। बर्दहस्त और विरासत की भूमिका की सीमाएं हैं। नेता संघर्ष की उपज होता है। ज्ञान और क्षमता का होना तो जरूरी ही है। जब ये तत्व विद्यमान हों तो वरदहस्त और पार्टी का सहयोग भी काम आता है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनो के पास वर्तमान में ऐसा चेहरा नहीं है और चाहें भी तो बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं।

अगर देखा जाए तो मायावती का उभार परिस्थितिजन्य ज्यादा है। कांशीराम जी ने जब दलितों को गोलबंद करना शुरू किया तो उस समय मैदान साफ था और दलितों में भूख थी कि कोई उनका अपना नेता हो। वामसेफ और बहुजन समाज पार्टी में मायावती से भी ज्यादा काबिल और वरिष्ठ दलित नेतृत्व थे लेकिन कांशीराम जी ने उन्हें नहीं उभरने दिया। उनकी कृपा मायावती के ऊपर विशेष थी और इसी वजह से उनके साथ के सभी वामसेफ के बड़े नेता छोड़ दिए। मेरे ऊपर बसपा ने कभी कांग्रेस का तो कभी भाजपा का एजेंट बनने का दुष्प्रचार भयंकर रूप से कर रखा है। दलितों को भ्रमित किया कि मुझे मायावती को कमजोर करने के लिए पैदा किया गया है। एजेंट मूलतः दो कारणों से बना जाता है, पैसा और पावर। अतिरिक्त आयकर आयुक्त के पद को लात मारकर आया हूं, जो पैसे की जगह थी और सत्ता मिली होती तो सबको दिखता। जो बात राहुल गांधी ने कहा मैं उसी को दूसरे तरीके से सभाओं के माध्यम से कहता रहा हूं कि क्या बसपा में एक भी ऐसा आदमी है, जो मेरी मुलाकात मायावती से करा सके, क्या किसी बसपा के नेता में हिम्मत है कि मेरे बारे में वह उनसे बात भी कर सके। मैं दो कारणों से मिलना चाहता हूं, एक कि गत् 15 साल से आरक्षण लगभग एक तिहाई खत्म हो चुका है, क्यों नहीं वे इस पर जनआंदोलन करतीं। महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी धरना–प्रदर्शन नहीं किया जाता। आरक्षण कानून बनाने के लिए संसद में 2004 से विधेयक लंबित है, वे क्यों चुप हैं? कैसे पदोन्नति में आरक्षण उनके समय में उत्तर प्रदेश में खत्म हुआ? क्यों नहीं पार्टी के नेताओं को बोलने एवं फैसला लेने का अधिकार देतीं? क्या एक नेतृत्व से दलितों का सशक्तिकरण हो जाएगा? लोक सभा और राज्य सभा दोनों मिलाकर लगभग बसपा के 40 सांसद हैं, उन्हें क्यों नहीं आज़ादी देतीं कि जहां भी अधिकारों की कटौती हो, जुल्म व अत्याचार हो, वहां पहुंचे और संघर्ष करें। कर्मचारियों–अधिकारियों का नाना प्रकार का उत्पीड़न होता है, उनके मामलों को उठाने और संबंधित अधिकारियों व मंत्रियों से मिलकर समाधान करवाने की क्यों नहीं इजाजत है? इन्हीं कर्मचारियों व अधिकारियों ने वामसेफ, कांशीराम और मायावती को पैदा किया। आज उन्हीं से दूरी क्यों? ऐसा तो दूसरी पार्टियां भी नहीं करतीं। अधिकतर दलित सुश्री मायावती को उनके कार्यों की वजह से समर्थन नहीं दे रहे हैं बल्कि इसलिए कि वे एकमात्र बड़ी नेतृत्व हैं, जिसे सुरक्षित रखना चाहते हैं। आम दलित सोचता है कि सवर्ण और पिछड़े नेता ही हमें क्या दे देगें? तो कम से कम मान–सम्मान और मनोवैज्ञानिक तुष्टि के लिए इस नेतृत्व को क्यों कमजोर करें, भले ही उसे कोई फायदा न हो रहा हो। अगर मायावती ने अपना रवैया नहीं बदला तो वह भी दिन दूर नहीं जब उनका नाम लेने वाले बहुत कम रह जाएंगें। यह परिस्थिति का शोषण करना हुआ। क्या देश में दो चार दलित भी नहीं हैं कि वे सतीश मिश्रा, शशांक शेखर, स्वामी प्रसाद मौर्य और नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बराबर के हों? क्यों मंच पर कोई दलित नहीं बैठता? वे इस हद तक जातीं हैं कि जिस पार्टी से उनका संबंध है, उसमें भी दलित नेता को उभरने नहीं देती। उनसे इसलिए मिलना चाहता हूं कि यह सब मैं बता सकूं और यदि वे अपने में बदलाव करने के लिए तैयार हों तो बीड़ा उठाया जाए कि सारे दलितों को उनके साथ एक किया जाए। रामविलास पासवान एवं रामदास आठवले से भी बात की जाए। मैं जानता हूं कि अभी ये इतने घमण्ड में हैं कि यह संभव नहीं है।

इस समय आशीष नंदी का भी बयान याद आता है, जब उन्होंने कहा कि बंगाल में 100 साल में कोई दलित नेता नहीं उभरा। वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी का लगभग 35 साल तक शासन रहा, क्यों नहीं दलित नेतृत्व उभरा? ताज्जुब भी होता है क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टियों का नेतृत्व सर्वहारा वर्ग से होता है। दलित, आदिवासी, अतिपिछड़ा वास्तव में सर्वहारा वर्ग है। मैं गांव के एक मामूली से परिवार में पैदा हुआ। भारत सरकार की सर्वोत्तम नौकरी छोड़कर सामाजिक एवं राजनैतिक कार्य कर रहा हूं। राहुल गांधी से मेरी मुलाकातें हैं और कभी–कभार विचारों का आदान–प्रदान भी होता रहा है। जाति की गोलबंदी करता नहीं हूं। बिना काले धन के राजनीति करना असंभव है। इसलिए मुझे उभरने में बहुत समय लगेगा। अरविंद केजरीवाल की तरह मीडिया का समर्थन मुझे नहीं है। मीडिया के अति प्रचार से उन्हें कार्यकर्त्ता, संगठन और साधन सबकुछ मिल गया। मुझे ऐसा सहयोग नहीं मिला, फिर भी पूरे देश में मेरा ताक़तवर सामाजिक संगठन है। दलित, आदिवासी, पिछड़े एवं गरीब मुझे मानते हैं और बड़ी आशाएं रखते हैं। राहुल गांधी जी यदि चाहें तो मुझे उभरने में मदद करें और फिर उनकी दलित नेतृत्व पैदा करने की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। प्रशासन और आर्थिक मामलों का भी अनुभव है। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं लेकिन चुनौती देता हूं कि देश का कोई भी दलित नेता मुझसे सांगठनिक क्षमता, संघर्ष और ज्ञान में आगे नहीं है। देखना है कि राहुल गांधी क्या करते हैं?

अति पिछड़ा वर्ग महासम्मेलन का समापन

गत् दिनों 29 सितंबर को राष्ट्रीय सामाजिक न्याय केंद्र के बैनर के अधीन अति-पिछड़ी एवं पसमांदा मुस्लिम संगठनों का एक प्रस्तावित मंच ने राष्ट्रीय अति-पिछड़ा वर्ग महासम्मेलन आयोजित किया।

इस सम्मेलन में सर्वसम्मति से यह निष्कर्ष उभर कर आया कि जातिवादी व्यवस्था भारतीय समाज की एक कड़वी सच्चाई एवं मूल समस्या है। भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को समुचित एवं पर्याप्त आरक्षण मिलने के कारण केंद्र एवं राज्य विधान मंडलों एवं प्रशासनिक व्यवस्था में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हुई है। स्वाधीनता संग्राम के दौरान ब्रिटेन से आये साइमन कमीशन की यह मंशा थी कि एससी एवं एसटी की तरह वर्तमान की अति-पिछड़ी जातियों को भी अधिकार संपन्न बनाया जाये लेकिन कतिपय कारणों से ऐसा नहीं हो पाया। यही वह पृष्ठभूमि थी जिसके कारण काका कालेलकर आयोग बना। उसकी रिपोर्ट आई लेकिन उस रिपोर्ट को दबा दिया गया। इसके बाद 1978 में मंडल आयोग बना और उसने 1980 में फिर एक रिपोर्ट दी लेकिन उस समय की राजनीतिक अनिश्चितता के कारण फिर यह रिपोर्ट लागू नहीं हो सकी। उल्लेखनीय है कि कालेलकर रिपोर्ट एवं मंडल आयोग के एक सदस्य एल. आर. नायक ने यह राय व्यक्त की थी कि ओबीसी के आरक्षण को दो भागों में विभाजित किया जाये ताकि अति-पिछड़ी जातियों का आरक्षण का हक संपन्न ओबीसी की जातियां न खा सकें। अंततः सन् 1990 में स्वर्गीय वी. पी. सिंह ने भी इसे जल्दबाजी में आधा-अधूरा ही लागू किया यानि आरक्षण को दो भागों में विभाजित नहीं किया गया। और तो और अब पिछले 20 सलों से हो यह रहा है कि एक से एक दबंग जातियां या तो इसमें शामिल कर ली गई हैं या उन्हें शामिल करने का प्रयास जारी है। सभी राजनैतिक दल या उनकी सरकारों की इस पीड़ादायक नीति एवं नियत के कारण हम अति-पिछड़ी जातियों का आरक्षण का हक केवल जाट, यादव, गूर्जर, कुर्मी, पटेल, लोधा एवं कुशवाहा आदि जातियों को ही वास्तव में मिला है। ठीक यही स्थिति आरक्षण के लाभ को लेकर एससी एवं एसटी में भी है।

सभी राजनैतिक दलों एवं उनकी सरकारों की निरंतर इस पीड़ादायक नीति एवं नियत के कारण हम अति पिछड़ी जातियों के बीच एक असंतोष एवं रोष पनप रहा है जो आने वाले दो-तीन चुनावों में समस्त दशा एवं दिशा को बदल देगा।

अतः इन तमाम हालातों में हम अति-पिछड़ी जातियां आपके दल/सरकार से निम्न मांग करते हैं :-

1. ओबीसी को दिया जा रहा 27 प्रतिशत आरक्षण को दो भागों में विभाजित किया जाए। 9 प्रतिशत भाग में जाट, यादव.... संपन्न कृषक जातियों तथा 18 प्रतिशत भाग में हम सभी अति-पिछड़ी (दस्तकार एवं सेवाभावी) जातियों को रखा जाय।

2. हम अति-पिछड़ी जातियों को केंद्रीय एवं राज्य विधान-मंडलों में एससी एवं एसटी की तरह आरक्षण दिया जाये। जब तक संविधान में इस आशय का संशोधन नहीं हो जाता। तब तक हर राजनैतिक दल कम से कम 20 प्रतिशत उम्मीदवार हम अति-पिछड़ी जातियों में से ही बनायें।

3. उच्चतर न्यायपालिका एवं अन्य संवैधानिक पदों पर भी आरक्षण के प्रावधान लागू किये जाय।

4. अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं ओबीसी को पदोन्नति में भी आरक्षण का लाभ दिया जाय।

5. एससी एवं एसटी के आरक्षण का भी वर्गीकरण किया जाय ताकि अति वंचित दलितों एवं जनजातियों को भी आरक्षण का लाभ मिल सके।

6. सभी सरकारी सेवाओं में ठेका प्रथा समाप्त की जाय।

7. सार्वजनिक क्षेत्र की तरह निजी क्षेत्र में भी आरक्षण के प्रावधान लागू किया जाय।

8. ''क्रीमी लेयर'' का प्रावधान पूरी तरह से समाप्त किया जाय।

9. आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत की जाय।

10. केंद्रीय एवं राज्य स्तर पर अलग से अति पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया जाय।

11. शासन एवं प्रशासन में अति पिछड़े दलितों एवं जनजातियों की भागीदारी बाबत केंद्र एवं राज्य स्तर पर श्वेत पत्र जारी किया जाए।

12. केंद्रीय एवं राज्य स्तर पर अति पिछड़ों के विकास हेतु अलग से वित्त निगम स्थापित किये जाय ताकि उनके माध्यम से अति पिछड़ी जातियों को उच्च शिक्षा एवं स्वरोजगार बाबत सारभूत सहायता मिल सके।

13. मुस्लिम समुदाय/अन्य अल्प संख्यक समुदाय में भी अति पिछड़ी दलित जातियों को ओबीसी के 27 प्रतिशत आरक्षण के अलावा आरक्षण दिया जाए।

14. जातिगत जनगणना को अविलंब पूर्ण कर उसके आंकड़ें सार्वजनिक किया जाए।

हम अति पिछड़ी जातियां आपसे अपेक्षा करती है कि आपका दल/सरकार हमारी उपरोक्त न्यायसंगत मांगों को अति शीघ्र स्वीकार करने की दिशा में प्रभावी/सद्भावी कदम उटाएगी वरना् हमारे मंच ने अपनी मंजिल एवं रास्ते तय करने का एक्शन प्लान तय कर लिया है जिस पर हम चलेंगे, जिसका परिणाम आने का संकेत आपको निकट भविष्य के चुनावों में नजर आने लग जाएंगे।

बाबागिरी का फर्जी धंधा

मनोज कुमार

बाबागिरी का धंधा प्रायः दुनिया के तथाकथित हर धर्म, हर संस्कृति और हर कोने में पायी जाती है। परन्तु अपने देश भारत में इसका जोर कुछ ज्यादा ही है। यहाँ बाबागिरी से हमारा अभिप्राय समाज के उन खास किस्म के लोगों से है जो आत्मा-परमात्मा, स्वर्ग-नरक, पाप-पुण्य, तीर्थ-व्रत, पुर्नजन्म, भाग्यवाद, चमत्कार, जाति-वर्ण, अंधविश्वास, पाखण्ड चीजों का कारोबार करते है। इन चीजों के नाम पर अपना धंधा करते है और अपने को विशिष्ट होने का प्रदर्शन करते है। इन कारोबारी बाबाओं को लोग साधु, संत, स्वामी, आचार्य, पुजारी, ग्रन्थी, मौलाना, योगी जैसे कई नामों से जानते-पहचानते है। इस बाबागिरी के धंधे में भले ही ये लोग अलग-अलग नामों और पहचानों से जाने जाते हो परन्तु प्रायः सबका मकसद एक ही होता है, और वो है - लोगों को बेवकूफ बनाकर उनका शोषण करना और समाज को पीछे धकेलना।

पहले बाबागिरी का धंधा गाँवों और छोटे शहरों कस्बों में ही ज्यादा था। परन्तु शहरीकरण, आधुनिकता और टी.वी. चैनलों की बाढ़ ने अब बाबागिरी को ज्यादा पॉपुलर बना दिया है। रोज किसी न किसी चैनल पर दिनभर कोई न कोई बाबा प्रवचन करते, अंगुठी, ताबीज, यंत्र बेचते, लोगों का भूत, वर्त्तमान और भविष्य बताते एवं कृपा बरसाते मिल जाते है। महिला बाबा भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। बाबाओं का वेशभूषा भी बड़ा अलग-अलग होता है, उनमें से कोई मुँछ-दाढ़ी बढ़ाए होते है तो कोई एकदम क्लीन सेव-सफाचट मुँछ दाढ़ी वाले। क्लीन सेव मगर महिलाओं जैसा सिर का बाल बढ़ाए और फ्रेंच कट वाले बाबा भी मिल जाते है। उनके माथे का चंदन टीका का वेराइटी तो देखते ही बनता है। सबका गहना, जेवर, कुंडल, पोशाक का निराला अन्दाज होता है। सबका बोलने का स्टाइल भी देखने लायक होता है। उनके आसन और आसपास की सजावट ऐसा की राजा-महाराजाओं का जमाना याद आ जाये। पूरा ठाट-बाट, ऐशो-आराम वाला होता है। जंगल, पहाड़ों और गुफाओं से निकलकर अब तो बाबा हाइटेक उनका आश्रम हाइटेक और उनका पूरा कारोबार हाईटेक हो गया है। इसका कारोबार अब नेशनल से मल्टीनेशनल हो गया है। कई मालदार देशों में इनका साम्राज्य फैला हुआ है।

आजकल एक क्लर्क की नौकरी के लिए भी विद्यार्थी को बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। सभी जानते है प्रतियोगिता परीक्षा पास करना पड़ता है परन्तु बाबागिरी के लिए ऐसा कुछ भी टेंशन की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए धूर्त, चालाक, जाल-फरेबी, कुछ श्लोकों का रट्टू, बोलने और बातचीत में चतुर, ठग जैसा गुण ही काफी है बाकी ये गोरख-धंधा खुद ही सीखा देता है। सारे के सारे बाबा जैसे लोग आज जनता का भूत, वर्त्तमान बताने और भविष्य ठीक करने का दावा करते है। सभी अपने ज्ञान को सच्चा और औरों का झूठा बताते है। कोई बाबा वर्त्तमान ज्ञान-विज्ञान, दर्शन, अविष्कार और खोज प्रशंसा नहीं करता। अपने सैकड़ों-हजारों साल पूरानी ज्ञान को अध्यात्म के नामपर झूठा प्रशंसा करता है।

सच बात तो यह है कि बाबागिरी का धंधा करने वाले जाली और धूर्त लोग होते हैं। ईश्वर, स्वर्ग-नरक, मोक्ष- मुक्ति जैसे चीजों का सब्जबाग दिखाकर जनता का घोर शोषण करते हैं। देश और समाज का दृष्टिकोण वैज्ञानिक बनने में अपार बाधा और भ्रम पैदा करते है। आज तक किसी बाबा ने मानव समाज को सुखी बनाने के लिए टी.वी. फ्रीज, मोबाइल, साइकिल, कार, मशीन, सूई, कैंची, कलम, कागज तक इजाद नहीं किया परन्तु ये बाबा लोग हमेशा मानव कल्याण और सुखी बनाने का दावा करते रहे। ये लोग कभी खेत-खलिहान कारखानों में उत्पादन निर्माण नहीं करते परन्तु उपभोग सभी चीजों का करते हैं। आज तक किसी बाबा ने एक मुट्ठी अनाज पैदा करके समाज को नहीं दिया परन्तु भोजन हमेशा अच्छा करते हैं। ये लोग दूसरों की कमाई पर मौज-मस्ती करते रहें। ये लाखों परजीवी बाबा लोग अगर एक दिन में मर जाये तो समाज का कुछ नहीं बिगड़ेगा। हाँ, मुफ्त का दूसरों की कमाई खाने वालों की संख्या कुछ कम अवश्य हो जाएगी। जाति, धर्म, नस्ल, रंग के नाम पर समाज को बाँटने वालो की संख्या कम हो जाएगी। समाज में नफरत फैलाकर दंगा-फसाद, नरसंहार कराने वालों इन्सानियत के दुश्मनों की कुछ संख्या अवश्य कम हो जाएगी।

कुछ लोग कहते है कि सारे बाबा एक जैसे नहीं होते है। कुछ खराब हो सकते है परन्तु ज्यादातर ठीक है। इन्हें बेवजह बदनाम किया जाता है। मगर सच तो यह है कि इस बाबागिरी के धंधे में सारे गन्दे है। सभी का कारोबार आत्मा-परमात्मा, स्वर्ग-नरक, जादू-टोना, चमत्कार, झूठा आस्था विश्वास और मोक्ष-मुक्ति अंधविश्वास पाखण्ड जैसे आइटमों के बदौलत ही तो चलता है। पूरी दुनिया में आज तक किसी ने भी आत्मा, परमात्मा स्वर्ग, नरक चमत्कार को सिद्ध नहीं कर पाया है। ये सब झूठ काल्पनिक और अवैज्ञानिक है। ये तो बाबा लोगों की हिमाकत है कि झूठे चीजो का कारोबार पूरा सच्चा बताकर विश्वास से लबरेज होकर करते है। सोचने की बात है जब कारोबार का आइटम ही झूठा है तो धंधा सच्चा कैसे हो सकता है और इस धंधे को करने वाले सच्चे कैसे हो सकते है ?

आगामी रैली से संबंधित हैंडबिल का नमूना छापा जा रहा है। परिसंघ के नेताओं से अपील है कि अपनी ओर से भी छपवाकर वितरित करें व तैयारी अभी से शुरू कर दें

परिसंघ के आह्वान पर निजी क्षेत्र में आरक्षण एवं आर्थिक सत्ता में भागीदारी के लिए रैली

25 नवंबर, 2013 (सोमवार) को प्रातः 11 बजे लाखों की संख्या में रामलीला मैदान, नई दिल्ली में एकत्र होकर जंतर-मंतर तक मार्च व संसद का घेराव

साथियों,

अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ की स्थापना 1997 में हुई। यह तब हुई थी जब पांच आरक्षण विरोधी आदेश भारत सरकार ने जारी किए। इसके महान संघर्ष की वजह से 81वां, 82वां एवं 85वां संवैधानिक संशोधन हुए तभी जाकर के आरक्षण बचा। इस संघर्ष की 11 दिसंबर 2000 की रैली इतनी बड़ी थी कि आजाद भारत के 10 बड़ी रैलियों में से एक मानी गई थी जिसके प्रभाव से आरक्षण बचा (हिंदुस्तान समाचार की रिपोर्ट)। 4 नवंबर 2001 को लाखों लोग बौद्ध बनें। निजी क्षेत्र में आरक्षण के महत्व को जब तक लोग समझ नहीं पाए थे तब से परिसंघ ने उठाया और अब यह राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। 2006 में जब पिछड़ों को उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण मिला तो परिसंघ ही संघर्ष करके विरोध को दबाया और आरक्षण लागू कराया। अन्ना हजारे ने जब हठ किया कि लोकपाल बने और वह संविधान से भी ऊपर हो तो हमीं ने उसका जवाब दिया। बहुजन लोकपाल बिल पेश किया और इसी से संसद में जब लोकपाल पर बहस हुई तो आरक्षण का प्रावधान रखा। कुल मिलाकर 1997 से लेकर अब तक परिसंघ ही एकमात्र संगठन रहा जिसने नतीजा देने वाली लड़ाई लड़ी। शेष अधिकतर संगठन चंदाखोरी, सभा–सम्मेलन और कैडर करने में ही लगे रहे।

निजी क्षेत्र में आरक्षण जिंदगी और मौत का प्रश्न बन गया है। यूपीए प्रथम के समय में सरकार कुछ गंभीर थी लेकिन जब हम थोड़ा अपने ही लोगों के द्वारा टांग खिंचाई से कमजोर हुए तो सरकार के ऊपर दबाव कम हुआ और अभी तक निजी क्षेत्र में नौकरी देने के लिए कानून नहीं बना। हमारे कमजोर होने से पदोन्नति में आरक्षण उत्तर प्रदेश में छीना क्यूंकि वहां के कर्मचारियों ने 4 जनवरी 2011 के बाद से भी हमारा साथ नहीं दिया। इसी दिन लखनऊ हाईकोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण समाप्त करने का फैसला लिया था। फैसले के अंतिम पैराग्राफ में उल्लेख भी था कि राज्य सरकार चाहे तो 2006 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए एम. नागराज के फैसले में शर्तों को पूरा करते हुए आगे इस अधिकार को यथास्थिति रख सकती है। उसने ऐसा ना करके सुप्रीम कोर्ट में चली गई और 27 अप्रैल 2012 को फिर से उल्ट आ गया। नागराज की तीन शर्तें– पिछड़ापन, प्रतिनिधित्व और दक्षता गलत हैं क्यूंकि 77वां, 81वां, 82वां एवं 85वां संवैधानिक संशोधनों में ऐसा नहीं है। आरक्षण कानून बनाने के लिए 2004 से बिल लंबित है और अभी तक यह संसद से पास नहीं हो सका है।

निजीकरण एवं भूमंडलीकरण की वजह से जिसके पास धन है उसी की मीडिया, सत्ता और तमाम ताकतें है। जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उसमें विचारधारा की लड़ाई नहीं रह गई है। ऐसे में यदि दलित आदिवासी को आर्थिक सत्ता में भागीदारी के लिए प्रशिक्षण, कैडरकैम्प, तकनीकी सहायता, कर्ज, बाजार, नेटवर्क, मांग एवं पूर्ति आदि के लिए इन्हें तैयार नहीं किया गया तो ये गुलाम ही रह जाएंगे।

उपरोक्त समस्याओं के अतिरिक्त सफाई कर्मियों का बेतहाशा शोषण और इस कार्य में ठेकेदारी प्रथा है। उच्च न्यायपालिका एवं सेना में आरक्षण आदि बड़ी समस्याएं हैं। जाति–प्रमाणपत्र जारी होने में परेशानी और एक राज्य का दूसरे राज्य में ना मान्य होना, नौकरी में भारी नुकसान है। हमारे सामने दलित एकता की बड़ी चुनौती है। जब तक हम बाबा साहेब एवं अपने पूर्वजों के विचारधारा को दलित समाज के समस्त जातियों में जो कम अंबेडकरवादी हैं जैसे बाल्मिकी, खटिक, मादिगा, पासी, धानुक, धोबी, कोली आदि में नहीं फैलाते हैं, तब तक हमारी संख्या और एकता कम रहेगी और उपरोक्त अधिकारों को हासिल करना मुश्किल होगा। परिसंघ आह्वान करता है कि अब आप गैर–अंबेडकरवादियों के बीच जाकर अपने ताकत को बढ़ाएं। हमारी लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की है और प्रत्येक क्षेत्र में भागीदारी चाहते हैं।

उपरोक्त मांगों को लेकर के 25 नवंबर 2013 को प्रातः 11 बजे नई दिल्ली स्थित रामलीला मैदान पर लाखों की रैली के उपरांत जंतर–मंतर पर मार्च करते हुए प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जाएगा।

निवेदक : इंदिरा आठवले, प्रधान महासचिव

भवननाथ पासवान, डॉ0 अनिल कुमार, एस. पी. सिंह (उ0प्र0), एस.यू. गडपायले, सिद्धार्थ भोजने (महाराष्ट्र), महासिंह भूरानिया, एस. पी. जरावता, फूल सिंह गौतम (हरियाणा), जसबीर सिंह पाल, दर्शन सिंह चंदेढ़ (पंजाब), विनोद कुमार, ब्रह्म प्रकाश, ए. आर. कोली (दिल्ली), इन्द्राज सिंह (राजस्थान), आर.वी. सिंह, हीरा लाल, एच.सी. आर्या, रोहित कुमार, जयपाल सिंह (उत्तराखंड), डी.के. बेहरा, शंखानंद, नारायन चरन दास (उड़ीसा), परम हंस प्रसाद, आर.बी. सिंह (म.प्र.), आर. एस. मौर्या, दीपक पटेल (गुजरात), बी. सगादेवन (तमिलनाडु), के. रमनकुट्टी (केरल), मधु चन्द्रा (मणिपुर), महेश्वर राज, जी. शंकर, प्रेम कुमार, आई मैसया, एस. रामकृष्णा, जे. बी. राजू, वाई. एम. विजय कुमार, बी. नरसिंह राव, पी. वी. रमणा (आन्ध्र प्रदेश), अनिल मेश्राम, हर्ष मेश्राम (छत्तीसगढ़), कमल कृष्ण मंडल, तारापद बिश्वास, रामेश्वर राम, सपन हलदर (प.बंगाल), मधुसूदन कुमार, विनय मुंडू (झारखण्ड), आर.के. कलसोत्रा (जम्मू व कश्मीर), मदन राम, देवी प्रसाद (बिहार), जे. श्रीनिवासलू, पुरुषोत्तम दास (कर्नाटक), सीताराम बंसल (हि.प्र.)

अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ
पत्राचार : टी–22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–1, फोन : 23354841–42, टेलीफैक्स : 23354843 Email : dr.uditraj@gmail.com

उच्च न्यायपालिका जातिवादी

डॉ0 उदित राज, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ ने कहा कि 9 अक्टूबर को जो फैसला बिहार हाई कोर्ट ने सुनाया, वह जातिवाद से प्रेरित है। ज्ञात रहे कि लक्ष्मणपुर, अरवल में एक दिसंबर 1997 को 58 दलित मौत के घाट उतार दिए गए थे। मारे गए लोगों में 2 से लेकर 8 वर्ष के 16 बच्चे थे। 27 महिलाएं एवं बुजुर्ग भी मौत के घाट उतारे गए। इसी मामले में अप्रैल, 2010 में पटना सिविल कोर्ट ने 16 हत्यारों को फांसी और 10 को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

9 अक्टूबर को पटना होई कोर्ट में सभी हत्यारों को संदेह का लाभ देते हुए छोड़ दिया गया। भटानी टोला में इसी तरह से रणवीर सेना ने 21 दलितों को जुलाई, 1996 में हत्या कर दी थी। इस मामले में भी इसी पटना हाई कोर्ट ने 18 अप्रैल, 2012 को 23 हत्यारों को बरी कर दिया था, जबकि भोजपुर कोर्ट ने 3 हत्यारों को फांसी और 20 को आजीवान कारावास की सजा सुनाई थी। उच्च न्यायपालिका दलित विरोधी है। रोज ऐसे दृष्टांत होते रहते हैं लेकिन मीडिया में छपता नहीं है। इसकी जानकारी हम लोगों को दिनप्रतिदिन के आधार पर होती रहती है। दुर्भाग्य है कि आम समाज न्यायपालिका को विधायिका एवं कार्यपालिका से बेहतर मानता है, जबकि बिल्कुल ऐसा नहीं है। विधायिका और कार्यपालिका से तमाम आम लोगों को राहत मिलती रहती है, बावजूद इसके कि वहां भ्रष्टाचार है। क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में गरीब या आम आदमी वकीलों की फीस भुगतान करने की क्षमता रखता है ? क्या गरीबों के मामले कई वर्ष तक न्यायपालिका में लंबित नहीं रहते ? शायद एक प्रतिशत लोगों को भी न्याय नहीं मिल पाता है, चूंकि न्यायपालिका की अंदरूनी बातें बाहर नहीं आती हैं, इसलिए लोगों को लगता है कि वहां सब ठीक–ठाक है।

डॉ0 उदित राज ने कहा कि मनुष्य जिस जाति और धर्म में पैदा हुआ है, मरने तक कहीं न कहीं उस भावना से ग्रसित रहता है। इसलिए न्यायाधीश भी परिवार एवं जाति के संस्कार से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकते। वे भी जातीय मानसिकता से ऊपर पूरी तरह से कभी नहीं उठ सकते। पटना हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए दोनो मामलों में निर्णयों से यह पूरी तरह से सत्यापित हो जाता है। सभी वर्गों को उच्च न्यायपालिका से न्याय मिले, उसके लिए मात्र यही विकल्प है कि दलित, आदिवासी एवं पिछड़ों को आरक्षण मिले। न्यायपालिका इस समय विधायिका एवं कार्यपालिका का भी कार्य करने लगी है, जो देश के लिए ठीक नहीं है। संविधान में न्यायपालिका, कार्यपालिका एवं विधायिका के अधिकार क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं, परन्तु न्यायपालिका उसे बार–बार लांघ रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि विधायिका एवं कार्यपालिका में कुछ असक्षम एवं भ्रष्ट लोग हैं।

सफाई कामगारों व सफाई पेशे से जुड़ी जातियों के उत्थान हेतु राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न

विनोद कुमार

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर, 2013। डा0 उदित राज के संरक्षण में चल रहे सफाई कामगार संगठनों का परिसंघ द्वारा सफाई कामगारों व सफाई पेशे से जुड़ी जातियों की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं शैक्षणिक दशा, दिशा और राष्ट्रव्यापी आंदोलन की तैयारी हेतु डिप्टी स्पीकर हाल, कांस्टीट्यूशन क्लब, नई दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यों से सफाई के काम से जुड़ी जातियों के संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

सफाई कामगार संगठनों का परिसंघ के मुख्य संरक्षक एवं अनुसूचित जाति/ जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, डा0 उदित राज ने सम्मेलन में उपस्थित जनसमूह को सम्बोधित करते हुए कहा कि सन् 1997 से लगातार अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के माध्यम से सफाई के कार्य में ठेकेदारी प्रथा की समाप्ति, सफाई कर्मचारियों को समयबद्ध पदोन्नति एवं सफाई का पेशा जन्म व जाति के आधार पर तय न हो आदि मांगें उठाता रहा हूं। इस सम्मेलन से लगने लगा है कि जो काम हम लोग 1997 से नहीं कर पाए अब अवश्य हो जाएगा। उन्होंने लोगों से कहा कि इस सम्मेलन में हम संकल्प लें कि जन्म व जाति के आधार पर इस पेशे को अपना पेशा नहीं मानेगें एवं आने वाली पीढी को इस पेशे से दूर रखेगें और बाबा साहेब डा0 भीमराव अम्बेडकर के संदेश शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो को पूर्णरूपेण कार्यान्वित करेगें। यह भी संकल्प लें कि इस पेशे में कार्यरत् लोगों के उत्थान हेतु ठेकेदारी प्रथा की समाप्ति के लिए संघर्ष करेगें।

सफाई कामगार संगठनों का परिसंघ के राष्ट्रीय चेयरमैन, विनोद कुमार ने सम्मेलन में उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा जिस दिन यह समाज दलित महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलकर शारीरिक ताकत के बजाय बौद्धिक शक्ति के माध्यम से आंदोलन चलाएगा तो हमें पूर्ण विश्वास है कि यह समाज अन्य दलित समाज की जातियों के बराबर अपने अधिकारों को सुनिश्चित करने एवं हुक्मरान बनने में सफल होगा। केवल दलित महापुरूषों की कथा वाचने से अधिकार नहीं मिलने वाला, बल्कि साथ-साथ अधिकारों की लड़ाई लड़ना जरूरी है।

उन्होंने आगे कहा कि सफाई पेशे से जुड़ी जातियां जिनको विभिन्न प्रदेशों में भिन्न-भिन्न नामों से जाना जाता है उनमें प्रमुख हैं - बाल्मीकि, मेहतर, डोम, चांडाल, हेला, चूहड़ा, लालबेगी, धानुक, भंगी आदि। जैसे-जैसे इस देश में धर्म एवं शासक बदलते रहे वैसे-वैसे इन जातियों के नाम भी बदलते रहे। तमाम सरकारी एवं गैरसरकारी प्रयासों के बाद भी इनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में आखिर क्यों बदलाव नहीं हो पाया ? अभी हाल में 7 सितंबर, 2013 को सिर पर मैला मुक्ति एवं इनके पुनर्वास के लिए संसद से बिल पास हुआ है। क्या गारंटी है कि उससे इस समाज की स्थिति में परिवर्तन आएगा ? डा0 अम्बेडकर ने सफाई पेशे से जुड़ी जातियों के उत्थान के लिए म्यूनिसिपल सफाई कामगार यूनियन की स्थापना करके इनकी आर्थिक उन्नति एवं मान-सम्मान की लड़ाई लड़ी। जैसे ही मनुवादियों को इस बात का आभास हुआ तो बड़ी ही सावधानी से डा. अंबेडकर की सामाजिक क्रांति को कमजोर करने का प्रयास किया जिसके परिणामस्वरूप यह समाज अंबेडकरवादी नहीं बन सका और जाने-अनजाने में बाबा साहेब की विचारधारा से कटता रहा और अपने आप को दलित आंदोलन की मुख्यधारा में नहीं जोड़ पाया।

कुछ लोग सफाई पेशे से जुड़ी जातियों का सामाजिक बदलाव राजनीति के माध्यम से करने की बात करते हैं, लेकिन आजादी के 66 वर्ष बीत जाने के बाद भी समाज के हालात में कोई खास बदलाव नहीं आया, केवल राजनैतिक पार्टियों की सत्ता बदलती रहीं हैं और इनका सिर्फ शोषण होता रहा। समाज के नाम पर राजनीति करने वाले कुछ नेताओं का जरूर भला हुआ है। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जिस व्यक्ति के समाज का सम्मान नहीं होता उसका कभी सम्मान हो ही नहीं सकता। इन जातियों की मुख्य जीविका का साधन विभिन्न स्थानीय निकायों व सरकारी संस्थानों एवं गैर-सरकारी संस्थानों के अंतर्गत सफाई का कार्य करना है लेकिन अब यह काम लगभग सभी जगह ठेकेदारी प्रथा में जा चुका है जिससे इस समाज की हालत और भी बद से बदतर होती जा रही है। इसके अलावा इस समाज की अनेक समस्याएं हैं जैसे समय से वेतन ना मिलना, आधुनिक तकनीक से वंचित रखना, आवास, शिक्षा की कमी एवं मलिन बस्ती में रहना एवं सिर पर मैला ढोना है। जिसके परिणामस्वरूप ये विभिन्न संक्रामक रोगों से ग्रसित हो जाते हैं और समय से पहले इनकी मृत्यु हो जाती है। किसी भी सभ्य समाज के लिए इससे बड़ी शर्मनाक और क्या बात हो सकती है ? भारत की सभी जातियां गंदगी फैलाएं और केवल एक जाति उनकी सफाई करे। यह भारत की सामाजिक व्यवस्था में कहां का न्याय है ?

श्री विनोद कुमाार ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर जन आंदोलन तैयार करके सफाई पेशे में ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कराना अतिआवश्यक हो गया है, जिसके लिए आगामी 25 नवंबर को अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परसिंघ एवं सफाई कामगार संगठनों का परिसंघ द्वारा रामलीला मैदान, नई दिल्ली में महारैली आयोजित की जा रही है। इस रैली के माध्यम से सफाई के काम में ठेकेदारी प्रथा की समाप्ति की मांग उठायी जाएगी और केन्द्र सरकार को सफाई पेशे से जुड़ी जातियों एवं इस पेशे में कार्यरत् लोगों की समस्याओं से छुटकारा दिलाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की जाएगी।

मास्को में ऐसे मना हिन्दी दिवस

मास्को में हिन्दी दिवस 25 सितम्बर को मनाया गया। इसका आयोजन भारतीय दूतावास स्थित डी.पी.धर सभागार में किया गया। इस समारोह में महामहिम राजदूत महोदय के अतिरिक्त गणमान्य लोगों में जवाहर लाल नेहरू सांस्कृतिक केंद्र के निर्देशक श्री विल्सन बाबू, राजकीय मास्को विश्वविद्यालय हिन्दी प्रोफेसर ल्यूद्मिला खखलोवा, डा० स्वेतलाना मिखोयान, राजकीय रूसी मानविकी विश्वविद्यालय की डा० इन्दिरा गाजिवा तथा विद्यालय कर्मांक 19 की डा० सोफरोमो स्तोलिबी थी।

कार्यक्रम का शुभारंभ राजदूत महोदय एवं अन्य विद्वतजनों के द्वारा दीप प्रज्ज्वलन से हुआ। जवाहर लाल नेहरू हिन्दी सांस्कृतिक केंद्र के निदेशक विल्सन बाबू ने सभागार में उपस्थित सभी लोगों को हिन्दी दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी। राजदूत महोदय ने इस अवसर पर भारत रूस मैत्री पूर्ण संबंधों में हिंदी भाषा के योगदान को रेखांकित किया। इस अवसर पर उन्होंने हिन्दी के विकास हेतु दूतावास की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक केंद्र की हिंदी छात्रा आलिया देवलिकनोवा ने हिंदी भाषा के संबंध मे अपने विचार रखते हुए इसके वैश्विक होने की संभावनाओं को क्रमबद्ध तरीके से रखा। इस संदर्भ में उसने भाषा के विषय में वैज्ञानिक सूझ-बूझ का परिचय दिया। एक अन्य छात्रा ततियाना ने भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की हिंदी चेयर के अध्यापक डा० गुलाब सिंह द्वारा लिखा सुंदर हिन्दी गीत प्रस्तुत किया। इस गीत के माध्यम से विश्व मैत्री और शांति की प्रतिबद्धता को व्यक्त किया गया। दूतावास मे कार्यरत श्री भूपेंद्र सिंह कजला ने अपनी हास्य कविता से श्रोताओं का मनोरंजन किया। डा० पूनम तुषामड़ ने अपनी नदी शीर्षक कविता प्रस्तुत की। इस कविता में पर्यावरण के प्रति चिंता के साथ-साथ समकालीन स्त्री विमर्श अपनी ताजगी के साथ मौजूद है।

इस कार्यक्रम में रूसी छात्र-छात्राओं ने बढ़-चढ़ कर भाग लिया। हिन्दी भाषा के प्रति उनका सम्मान एवं रुझान देखते ही बनता था। जवाहर लाल नेहरू सांस्कृतिक केंद्र की अन्य छात्रा दाशा ने प्रकृति एवं प्रेम से परिपूर्ण भावों की कविता प्रस्तुत की। मास्को के विद्यालय नंबर 19 के छात्र-छात्राओं ने हिंदी में खूबसूरत कविता प्रस्तुत की। राजकीय मास्को विश्वविद्यालय की एक छात्रा ने हिन्दी शोध के विषय मे अपने अनुभव साझा किए। इस कार्यक्रम की महत्वपूर्ण प्रस्तुति भारतीय लोक कथा पर आधारित एवं रूसी कवि पुश्किन की कविता में उल्लिखित कथा पर आधारित नाटक 'सुनहरी मछली' रहा। इसका मंचन जवाहर लाल नेहरू सांस्कृतिक केंद्र के विद्यार्थियों द्वारा सफलतापूर्वक किया गया। इसका नाट्य रूपांतरण एवं निर्देशन हिंदी चेयर के अध्यापक डा० गुलाब सिंह द्वारा किया गया। हिन्दी दिवस की सम्पूर्ण रूपरेखा तैयार करने और उसे सफलतापूर्ण कार्यान्वित करने में डा० गुलाब की भूमिका प्रशंसनीय रही। कार्यक्रम का समापन राजदूत महोदय द्वारा सभी प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरण के साथ हुआ। इस प्रकार मास्को में मना हिन्दी दिवस।

Samples of the Handbill for the forthcomming Rally are being published. It is an earnest appeal to the Confederation Leaders that they should get these printed and distributed

Confederation Call For A Rally For Reservation In Pvt. Sector And Economic Empowerment

Dr. Udit Raj
National Chairman

On 25th November, 2013 (Monday) at 11 AM, Lakhs of People to Assemble at Ramlila Ground, New Delhi, And Then March to Jantar Mantar To Gherao Parliament

Friends,

The All India Confederation of SC/ST Organizations was established in 1997 to ensure 5 anti-reservation orders issued by the DOPT. Our struggle was so vibrant that one of the rallies held on 11th December, 2000, is reckoned as the biggest rally after Independence. Another feather in the cap of our struggle was mobilization of lakhs of Dalits for conversion to Buddhism on November 4, 2001. When people hardly understood the implication of privatization, the Confederation raised the issue of private sector reservation. In 2006, reservation was given in higher education for OBCs although opposition was so huge and we immediately countered and as a result, it was successfully implemented. When Anna Hazare went on a fast in 2011 and the countrywide mood swung in his favour to bring about one Lok Pal Bill, even at the cost of sovereignty of the Constitution, the Confederation not only replied with matching demonstration but also presented their version of Bahujan Lok Pal Bill. When the Parliament took up this issue for debate, reservation for SC/ST/OBC and minorities in the Lok Pal Bill was considered as envisaged in the Bahujan Lok Pal Bill. Since 1997, the Confederation is the only organization in the country which has struggled and brought forth positive results whereas others have engaged themselves mostly in raising funds, holding seminars, public meetings and conducting cadre camps which are merely a theroretical exercise.

Reservation in private sector is a question of life and death. The UPA I was a little bit serious about it but is now dithering from its stand in UPA II. It is due to our weak support base. Our strength dwindled due to leg-pulling and selfish nature of employees. The Lucknow High Court gave a judgement on 4.1.2011 withdrawing reservation in promotions. We tried to muster the support of the U.P. employees but they refused to come forward and as a result, demand for reservation in promotions could not be fought. In the last paragraph of the judgement, the High Court held that if the State Government wants to continue reservation in promotions, it can do so by complying with the conditions of the M. Nagaraj judgement. In 2006, the Supreme Court gave a judgement in the case of M. Nagaraj, laying down the conditions of backwardness, adequate representation and efficiency. It is to be noted that the 77th, 81st, 82nd and 85th constituitional amendmentls never mentioned such conditions. Unfortunately, the U.P. Government preferred to file a suit in the Supreme Court and the Supreme Court, as it was expected, endorsed the Lucknow High Court verdict on 27.4.2012. The 117th Constitutional amendment which provides reservation in promotion, was passed in Rajya Sabha in last winter session in Parliament and it is yet to be passed by Lok Sabha. All these demands can be met provided our struggle gains the strength.

A Bill to make the Reservation Act is pending in the Parliament since 2004 and till date, it has not been passed. Due to privatization and globalization, social scenario has changed and those who have wealth and black money, control the media and political power. The ideological battle is coming to an end. In such a situation, if SC/ST and OBC people are aloof from economic empowerment, they will be relegated to further backwardness and slavery. For participation in economic empowerment, a strong movement like a political movement has to be launched like training, cadre camp, technological know-how, loans and subsidies facilities, net-working, demand and supply.

Despite the above problems, the exploitation of scavengers is quite acute and it is more due to contract system. There is no reservation in higher judiciary and Army. Geting caste certificate is a big problem and caste certificate of one State is not valid in another State thus depriving job opportunities. Currently we are facing the biggest challenge of Dalit unity and for this, we need to adhere to the ideology of Dr. Ambedkar and other social reformers. Those who are Ambedkarites, are duty bound to mobilize the less Ambedkerite castes like Balmiki, Khatick, Madiga, Passi, Dhanuk, Dhobi and Koli etc. This will not only increase our number but also strengthen us.

Kindly assemble in lacks at Ramlila Maidan, New Delhi on 25th November, 2013 at 11 AM and thereafter march to Jantar Mantar to gherao the Parliament.

By

.

Bhawan Nath Paswan, Dr. Anil Kumar, S.P Singh (UP), Indira Athawale, Siddharth Bhojne, S.U. Gadpyle (M.S.), Maha Singh Bhurania, S.P. Jaravta, Phool Singh Gautam (Haryana), Jasbir Singh Pal, Darshan Singh Chanded (Punjab), Vinod Kumar, Brahm Prakash, A. R. Koli (Delhi), Indraj Singh (Rajasthan), R.V. Singh, Hira Lal, H.C. Arya, Rohit Kumar (U.K.), D.K. Behera, Shankhanand, Narayan Charan Das (Orissa), Param Hans Prasad, R.B. Singh (M.P.), R.S. Maurya, Deepak Patel (Gujarat), B. Sagadevan (T.N.), K. Raman Kutty (Kerala), Madhu Chandra (Manipur), Maheshwar Raj, G. Shankar, Prem Kumar, I Mysaiah, J. B. Raju, S. Ramkrishna, Y.M. Vijay Kumar, B. Narsingh Rao, P. V. Ramna (A.P.), Anil Meshram, Harsh Meshram (Chattisgarh), Tarapad Biswas, Kamal Krishna Mandal, Rameshwar Ram, Sapan Haldar (W. Bengal), Madhusudan Kumar, Vinay Mundu (Jharkhand), R.K. Kalsotra (J&K), Madan Ram, Devi Prasad (Bihar), J. Shriniwaslu, Purushottam Das (Karnataka), Seetaram Bansal (H.P.).

All India Confederation of SC/ST Organisations
Corres.: T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-1, Tel : 23354841-42, Telefax: 23354843, Email : dr.uditraj@gmail.com

जातिवाद का दंश

मनोज कुमार

दुनिया में काले, पीले, लाल के आधार पर रंग भेद और नाक, कान आँख और चेहरे की बाहरी बनावट के आधार पर नस्ल भेद रहा है। ये दोनों प्रकार के भेद का कारण बाहर से ही दिख जाता है। पूरी दुनिया में इन दोनों ही विभेदकारी नीतियों का प्रचंड विरोध हुआ है, और अब ये प्रायः देखने को नहीं मिलती। अगर कहीं ऐसा होता है तो वह राष्ट्रीय, अर्न्तराष्ट्रीय खबरों की सुर्खियॉ बनता है।

भारत में एक अलग तरह का मानव–मानव के बीच भेद है वो है जातिभेद। जातिभेद भारत के लोगों के ही बीच है। रंगभेद और नस्ल भेद की तरह इसे पहचानना असंभव है। रंग और नस्ल के आधार पर काले, गोरे, नाक चिमटे आदि पहचानना एकदम आसान है परन्तु जाति के आधार पर धोबी, चमार, ब्राह्मण, कुम्हार, यादव, कुर्मी, गड़ेरिया आदि जाति के लोगों की पहचान करना एकदम असंभव है। एक तरह के दिखने वाले लोग भारत में अलग–अलग जाति वर्ग के मिल जाएँगें। दुनिया में रंगभेद और नस्ल भेद इसलिए समाप्त हो गया क्योंकि इसे किसी तथाकथित धर्म ने मान्यता और प्रश्रय नहीं दिया। सब लोग इसका विरोध करते है। परन्तु भारत में जातिभेद इसलिए आज भी जिंदा है क्योंकि इसको मान्यता और प्रश्रय तथाकथित हिन्दु धर्म ने दिया। तथाकथित धर्मशास्त्रों में जाति और वर्णो की उत्पत्ति हिन्दू ईश्वर देवी–देवताओं के द्वारा किया व लिखा गया। मनुस्मृति सहित प्रायः सारे तथाकथित धर्मशास्त्र जाति और वर्ण व्यवस्था को ईश्वर कृत और धार्मिक बताते है। पूरे समाज के इस जाति और वर्णव्यवस्था के अनुसार चलाने का विधान लिखा और चलाया गया। यही कारण है कि ईश्वर कृत और धार्मिक कहे जाने वाले जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था का देश–दुनिया के मंच से वैसा विरोध नहीं हुआ जैसा रंगभेद और नस्ल भेद का हुआ।

हाल में इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने जातीय आधार पर रैलियों और सभाओं के आयोजन पर रोक लगाने के आदेश देकर देश में एक नई बहस छेड़ दी। कुछ लोग इसे अच्छा तो कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे है। दोनों के अपने–अपने तर्क है भले ही किसी का तर्क मजबूत हो या किसी का तर्क कमजोर हो। आमतौर पर सवर्ण मानसिकता वाले लोग इस आदेश की सराहना कर रहें है क्योंकि आबादी में कम होने के कारण वोट की राजनीति में नुकसान होने का उन्हें डर है। कुछ दलित–पिछड़े संगठन इस आदेश का विरोध इसलिये कर रहे हैं, क्योंकि इससे राजनीतिक फायदे में खलल पड़ेगा।

इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले करीब दो–तीन दशकों में दलित, शोषित, वंचित तबकों में राजनीति और सामाजिक चेतना का तेजी से विकास हुआ है। इसमें कुछ राष्ट्रीय नेताओं टेलीविजन, समाचार पत्र और विभिन्न भाषाओं में निकलने वाले पत्र–पत्रिकाओं का योगदान बहुत अहम रहा है। इसी दौर में शोषितों के हिमायती कुछ नेता लोग विभिन्न जातियों का छोटा बड़ा संगठन बनाकर जातीय

और व्यक्तिगत हित में जातीय भावना को खूब उभारा। वे सब भावना में बहकर जातिय संगठन से फायदा और जातिवाद के गुण गिनाने लगें जैसे – हर जाति का स्वभाविक पेशा होता है जो उनकों रोजी, रोटी पाने को आसान बनाते है, किसी जाति के सुख और दुःख के अवसर पर जाति वाले ही पहले आते है और ज्यादा मदद भी करते है। धर्म ग्रंथ के झूठे पात्रों के साथ अपने जाति का सम्बन्ध खोजकर अपने लोगों का झूठा स्वाभिमान बढ़ाने का प्रयास करते हैं। अपने व्यक्तिगत नेतागिरी की महावाकांक्षा पूरा करते हैं आदि। जातिवादी व्यवस्था को महिमामंडित करते–करते कहने लगते है कि जातिवादी संगठनों के उभार से सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक व्यवस्था बदलेगी।

जातिवाद और वर्णवाद की व्यवस्था भारत को छोड़कर और वो भी हिन्दुओं को छोड़कर दुनिया में कहीं नहीं है। भारतीय उपमहाद्धीप में अगर ये बुराई दूसरे धर्मो में पायी जाती है तो हिन्दू संस्कृति के सैंकड़ों वर्षो तक सम्पर्क में रहने के कारण और धर्मपरिवर्तन के कारण। अकेले इस वर्णवादी और जातिवादी व्यवस्था ने भारत का और खासकर हिन्दुओं का जितना नुकसान किया है उतना कई बुरी व्यवस्थाओं ने मिलकर भी नहीं किया है। इस जातिवादी व्यवस्था से उत्पन्न घृणा, तिरस्कार, अपमान, जेहालत, गरीबी के कारण ही तो लोग हिन्दू व्यवस्था को छोड़कर सम्मान की तलाश में मुसलमान, सिख, ईसाई और बौद्ध बन गयें। इस जातिवादी हिन्दू व्यवस्था में कोई आकर्षण नहीं है। यही कारण है कि आज तक हिंदू धर्म दूसरे धर्म वाले किसी एक आदमी को भी अपने में शामिल नहीं कर पाये। इस जातिवादी–वर्णवादी व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ने में महामना बुद्ध, ज्योतिबा फूले, रामस्वामी नायकर, कबीर, डॉ अम्बेडकर सीखें कितने महापुरुषों ने अपनी असीम ऊर्जा खर्च कर दी फिर भी यह पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ।

आज भी इक्कीसवीं सदी में जातिवादी और वर्णवादी व्यवस्था के हिमायती लोगों और संगठनों की कमी नहीं है। दलित, पिछड़े और शोषित वर्ग के लोग भी इसमें लगे हुए है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि डॉ अम्बेडकर जातिवादी और वर्णवादी व्यवस्था के खिलाफ थे। उन्होंने कहा था कि ''जातिविहीन और वर्गविहीन समाज की स्थापना के बगैर स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं है।'' अम्बेडकर साहब और गाँधीजी के बीच मतभेद का एक बहुत बड़ा कारण जातिवादी और वर्णवादी व्यवस्था के प्रति अलग–अलग सोच था। अम्बेडकर साहब जातिवाद और वर्णवाद को अस्पृश्यता, घृणा, अपमान और गरीबी का कारण मानकर, इसकी जननी मानकर इसका समूल विनाश करना चाहते थे जबकि गाँधीजी जातिव्यवस्था और वर्ण व्यवस्था को हिन्दू धर्म का अभिन्न अंग और आधार मानकर इसे बनाए रखते हुए अस्पृश्यता निवारण और छुआ–छूत मिटाने का नौटंकी करना चाहते थे। अम्बेडकर साहब का कहना था कि वर्णव्यवस्था रहेगा तो जातिव्यवस्था रहेगा और जातिव्यवस्था रहेगा तो अस्पृश्यता, छुआ छूत की भावना समाज में रहेगा ही। अतः जातिवादी व्यवस्था को समाप्त करना जरुरी बताते थे। दूसरी तरफ गाँधीजी जातिवादी–वर्ण व्यवस्था को हिन्दू धर्म व संस्कृति का आधार और पहचान मानकर किसी भी कीमत पर बनाए रखना चाहते थे।

जातिव्यवस्था का कोई कितना भी गुणगान कर लें परन्तु लाभ के बजाय इससे नुकसान ज्यादा है। जातिव्यस्था से अगर 5 प्रतिशत लाभ है तो 95 प्रतिशत हानि ही है। और कोई भी व्यवस्था का धंधा जो 5 प्रतिशत लाभ और 95 प्रतिशत नुकसान वाला हो तो उसे चलाना और बरकरार रखना किसी भी व्यवस्था या धंधा के लिए बुद्धिमानी नहीं है। जातीय व्यवस्था से अगर फायदा होता तो दुनिया के दूसरे देशों ने भी इसे अपनाया होता। हम देखते है कि जिस देश में ये व्यवस्था नहीं है वहाँ के लोग ज्यादा ज्ञानी, ज्यादा सुखी, ज्यादा स्वाभिमानी और ज्यादा एकताबद्ध है। जातिवादी व्यवस्था के कारण यह देश सैकड़ों वर्षो तक एकताबद्ध रहने के बजाय टुकड़े–टुकड़े में बँटा रहा। छोटे–छोटे संख्या में आये आक्रमणकारियों ने देश को गुलाम बनाकर शासन किया। आज भी जातीय संगठनों के उभार के कारण दलित पिछड़े की विभिन्न जातियों के बीच अपने को बड़ा बताने के चक्कर में वैमनस्व बढ़ा है। हिन्दीभाषी क्षेत्रों खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा में साफ तौर पर देखा जा सकता है। अगर आज कहीं दलित, पिछड़े, शोषित अल्पसंख्यको में सौहार्द और आपसी भाई–चारा का वातावरण बन रहा है तो वो अर्जक संघ व ऐसी ही मानववादी विचारधारा वाले संगठनों के सामाजिक आन्दोलन के कारण बना है। जातीय संगठन चलाने वाले और जातिवाद को बढ़ावा देने वाले खासकर दलित–पिछड़े वर्ग के लोग तो बाबा साहब अम्बेडकर ज्योतिबा फूले, ललई सिंह यादव, महामना बुद्ध रामस्वरुप वर्मा, शहीद जगदेव प्रसाद जैसे लोगों के मिशन के या तो विरोधी है या उनके मिशन को समझ ही नहीं पाये। लोगों को सोचना चाहिए कि जातिवादी व्यवस्था में सवर्ण सबसे ऊपर रहता है बाकी सब नीचे रहते है। इस व्यवस्था में न तो घटिया सवर्ण का डिमोशन है और न ही बढ़िया गैर सवर्ण का प्रोमोशन है। इसलिए जातिवाद चलाना ब्राह्मणवाद चलाना है। इस व्यवस्था से ब्राह्मण सवर्ण इकट्ठा होता है, जुड़ता है और दूसरी तरफ दलित–पिछड़ा अल्पसंख्यक शोषित बिखरता है, टूटता है। इसलिए दलित पिछड़े वर्ग के डॉ अम्बेडकर महामना बुद्ध शहीद जगदेव प्रसाद, रामस्वरुप वर्माजी जैसे रहनुमाओं ने जाति की नहीं जमात की हमेशा बात कही।

किसी भी जातीय संघटन का विचारधारा बड़ा संकीर्ण होता है, उसका आधार सीमित होता है। इसमें कुछ नेता जैसे लोगों की अपने जातीय समाज में नेतागिरी झाड़कर अपने अहं की तुष्टी भले ही हो जाती हो परन्तु वे समाज को कोई नई दिशा देने में प्रायः अक्षम होते है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जातीय विचारधारा वाला संगठन और इसमें नेता कभी भी क्रांतिकारी नहीं होते। ये बात हमें अच्छी तरह से जान लेनी चाहिए कि जातीय व्यवस्था से केवल ब्राह्मण को फायदा है और ब्रह्मणेत्तर से सभी जातियों को नुकसान ही नुकसान है।

विज्ञान ने साबित कर दिया है कि पूरी दुनिया के मानव की एक ही जाति है जिसे होमो सैपियन कहा जाता है। दुनिया के किसी दो देशों के संस्कृतियों के स्त्री–पुरुष के मिलन से उनके समान बच्चे का जन्म होता है। ये एक जाति के होने का सबसे अच्छा पहचान है। इस सच्चाई को छोड़ दिया जाए तो मानव की जाति की जितने भी प्रकार हैं सब झूठा और बनावटी है। अर्जक संघ इस आधार पर जातिवादी व्यवस्था एवं इसके बढ़ावा देने वाले कारकों का घोर विरोध करते हुए विश्व स्तर पर मानववाद की स्थापना का हिमायत करता है।

Appeal to the Readers

You will be happy to know that the **Voice of Buddha** will now be published both in Hindi and English so that readers who cannot read in Hindi can make use of the English edition. I appeal to the readers to send their contribution through Bank draft in favour of **'Justice Publications'** at T-22**,** Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001. The contribution amount can also be transferred in 'Justice Publications' Punjab National Bank account no. 0636000102165381 branch Janpath, New Delhi, under intimation to us by email or telephone or by letter. Sometimes, it might happen that you don't receive the Voice of Buddha. In that case kindly write to us and also check up with the post office. As we are facing financial crisis to run it, you all are requested to send the contribution regularly.

Contribution:
Five years : Rs. 600/-
One year : Rs. 150/-

उत्तराखंड : मनुष्य निर्मित विनाश

रमणिका गुप्ता

केदारनाथ मंदिर में स्थित बर्फ से चोले में सुसज्जित तथाकथित शिव भगवान अपनी सर्द आंखों से उत्तराखंड का विनाश देखते रहे, पर वे अपने भक्तों का या उत्तराखंड की भूमि का विनाश रोक नहीं पाए। उनके गर्भगृह में गर्म खून से लथपथ लाशें, पानी की हरहराती लहरों के साथ आकर जमा हो गई, वे नहीं पिघले। सर्वनाश होता रहा। धर्मशालाएं गिर गई। घर गिर गये। सड़कें टूट गई। विष पी जाने की क्षमता रखने वाले शिव, समुद्र मंथन में अहम् भूमिका निभाने वाले शिव, उफनते पानी की धार और बरसती बूंदों की बौछार को न तो पी सके, न उन्हें रोक सके। कितनी दूर तक विनाश लीला गिनाऊं? हमारे कितने जवान अपनी जान जोखिम में डाल कर श्रद्धालुओं और वहां की स्थानीय जनता की रक्षा करने में दिन-रात लगे हुए हैं। सबसे बड़ा अनर्थ यह हुआ कि बचाव रक्षा में लगा हेलिकॉप्टर भी गिर गया, जिसमें बीस फौजी जवान शहीद हो गए। अखबार में किसी फौजी जवान ने एक टिप्पणी की 'बचाव के कार्य में भी ईश्वर उनके साथ नहीं है।'

'आखिर क्यों?' कितने दिनों तक इन कोरी कल्पनाओं के साथ रहेंगे लोग कि भगवान आएगा और बचाएगा। भगवान होता तब न बचाता। केदारनाथ के सर्वशक्तिमान 'शिव' तो अपने ही गांव की रक्षा नहीं कर पाए तो किसी और की क्या रक्षा करेंगे? पता नहीं क्यों हमारे देवता अपने को इतना निरीह और कमजोर महसूस करते हैं कि उन्हें हर दम हथियारों से लैस होकर रहना पड़ता है।

एक बार जरा इतिहास में जाएं, तो सोमनाथ का मंदिर याद आता है। मंदिर के पुजारी ने सभी राजपूत राजाओं को दुश्मनों का मुकाबला करने से यह कहकर रोक दिया था, ''शिव भगवान का त्रिशूल हिलेगा और शत्रु-सेना नष्ट हो जाएगी। किसी को तलवार उठाने की जरूरत नहीं है।'' और त्रिशूल हिला ही नहीं। सब राजा दुश्मनों के हाथों गाजर-मूली की तरह काट दिए गए। ये तो बाद में पता चला कि सोमनाथ के राजा का भाई ही दुश्मन से मिल गया था और उसी के कहने पर पुजारी ने राजाओं को मंदिर में जमा राजाओं को मुकाबला करने से रोका था। यही अंधविश्वास और धारणाएं ही भारतीय जनमानस को जड़ बनाती हैं, संवेदनहीन बनाती हैं, पुरुषार्थ को खत्म करती हैं और उन्हें किसी अनदेखी शक्ति के भरोसे छोड़ देती है। खैर!

ऐसी दुर्घटना के दौरान जनता का एक और चेहरा भी देखने को मिला। राहत सामग्री भेजी जा रही है, और चंद दबंग लोग उसे अपने हितार्थ लूट कर जमा कर रहे हैं। जिनके लिए सामग्री चाहिए उनके पास पर्याप्त मात्रा में सामग्री नहीं पहुंच रही। वह मजबूर होकर बिस्कुट का एक पैकेट हजार रुपये में और पानी की एक बोतल पांच सौ रुपये में खरीद रहे हैं। ऊंचे दाम पर सामान बेचने वाले ये लोग ईश्वर-भक्त लोग ही तो हैं न? कैसे भक्त हैं ये और कैसा है उनका ईश्वर? जिनके पास पैसा नहीं है, वे सूनी आंखों से मौत को आते देख रहे हैं। अखबार में पढ़ा कि तेल बंट रहा है और एक ही व्यक्ति तीन पीपे तेल ढो कर लिए जा रहा है, बिना यह सोचे कि सैकड़ों लोग उस तेल के भागीदार हैं, जिन्हें वह वंचित कर रहा है। वहां मौजूद धर्म के ठेकेदार और दुकानदार इस दुर्घटना का फायदा उठा कर 'लूट सके तो लूट' मचा रहे हैं। कई साधू लूटे हुए नोटों के साथ पकड़े गये हैं। पकड़ाये गये ये सभी तो उसी ईश्वर के भक्त हैं न? पता नहीं क्यों लोग ईश्वर-प्रेमी तो बन जाते हैं पर मनुष्य-प्रेमी नहीं बन पाते? ईश्वर के होने या न होने से कहां फर्क पड़ता है दुनिया में।

ईश्वर को मानने वाला मनुष्य ही तो प्रकृति को रौंद रहा है। देखा जाए तो सृष्टि की असली ताकत तो प्रकृति और मनुष्य है। इस तीसरी ईश्वर नामक अनदेखी शक्ति के चक्कर में हम उपरोक्त इन दोनों शक्तियों की उपेक्षा कर देते हैं। आज गति को काबू करने को कटिबद्ध मनुष्य समय को रोकने की कोशिश कर रहा है। गति को रोकना चाह रहा है। वह प्रकृति पर कब्जा जमा कर उसे अपने इशारों पर नाचना चाहता है। उसने नदियों को घेर लिया। नदियों के पेट में घर बना लिया। नदियों में कूड़ा भर दिया। पहाड़ों को उजाड़ा ही नहीं उखाड़ भी डाला। रास्ता छोटा करने के चक्कर में उनमें सुरंगें बनाकर आर-पार हो गया। परमाणु तक को तोड़ने की शक्ति अर्जित कर ली है उसने। ये शक्ति, सृष्टि और मनुष्य दोनों को ध्वस्त कर सकती है। अब तो ऐसे बम भी बन गए हैं कि घर खड़े रहेंगे पर मनुष्य मर जाएंगे। यानि मनुष्य की सीमेंट-कृत रचना बरकरार रहेगी, मनुष्य की अपनी कोख से जन्मी कृति नष्ट हो जाएगी। कैसा मनुष्य है यह? अपने ही विरुद्ध षड्यंत्र? पूरा कालिदास है, जिस पेड़ की टहनी पर बैठा है उसे ही काट रहा है।

ऊपर से धार्मिक नेताओं के फतवे पर फतवे और बयान कहर बरपा रहे हैं। 'यह तो ईश्वर का कोप है, देवी का कोप है।' उमा भारती को देवी पर इतना विश्वास है, तो वह बार-बार सरकार से यह क्यों कहती है कि गंगा साफ करें? उनकी देवी ने क्यों नहीं गंगा साफ कर दी? और गंगा तो खुद भी देवी मानी जाती है। खुद अपने को साफ क्यों नहीं रख सकी गंगा मैया कहलाने वाली देवी? हम सब खूब जानते हैं कि भारतीय जनता का बहुसंख्यक हिस्सा अनपढ़, अशिक्षित और अज्ञानी है। उसी का लाभ उमा भारती जैसे लोग उठाकर, उन्हें निष्क्रिय बनाते हैं। तर्कशील बनने की जगह आस्थावान बनने को कहते हैं।

एक और नमूना इस अंधविश्वास को देखें। केदारनाथ से लौट कर आये श्रद्धालु का कहना है- 'भोला बाबा दूत बनकर आये सैनिक और उन्हें बचा लिए।' अब भला बीच में 'भोला बाबा कहां से आ टपके? सैनिक देश का रखवाला है, देशवासियों को बचान उसका कर्तव्य है। सैनिकों ने बखूबी अपना कर्तव्य निभाया। बजाए उनकी निष्ठा को नमन करने के, हमारे श्रद्धालु सैनिकों को भोला बाबा का दूत बनाकर उनकी कर्तव्य-निष्ठा की अवमानना कर रहे हैं। पता नहीं कब हम ईश्वर की बजाय मनुष्य की इज्जत और अपनी इज्जत करना सीखेंगे।

उधर हमारे पर्यावरणवादी लोगों की चिंता सही है कि प्रकृति का विनाश ही इस तबाही का कारण है और ये विनाश का जिम्मेवार स्वंय मनुष्य है। ये सही है कि ये तबाही मनुष्य निर्मित है चूंकि हम प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं, जो एक बंधे-बंधाये नियम में चलती है। मनुष्य नियम तोड़ने का आदी है, चूंकि उसके पास सोचने की शक्ति है। वह अपनी सुविधा के लिए हर नियम तोड़ती है और मनमाफिक कर्म करता है। वह सृजन भी करता है और विनाश भी, चूंकि मनुष्य-ही-मनुष्य का सृजक है और मनुष्य स्वंय ही मृत्यु भोगता है। वास्तव में मनुष्य सृजन और विनाश का पुलिंदा है। इस मनुष्य में जन्मजात प्रवृत्तियां हैं। चूंकि वह पशु से मनुष्य बना है इसलिए उसकी पशु-प्रवृत्ति ज्यादा जोर मारती है तो वह विनाश की ओर बढ़ता है। ऐसे भी मनुष्य की सुरक्षात्मक प्रवृत्ति उसके सिर पर हमेशा खतरे की घंटी बजाती रहती है। इस अदेखे खतरे से बचने के लिए वह अपना सुरक्षा-कवच बनाने के साथ ही दूसरे के विनाश का प्रपंच भी रचता है। यही द्वंद है। प्रकृति से मनुष्य का, मनुष्य से मनुष्य का, विनाश और विकास का। मनुष्य जब इस द्वंद को समझ लेता है तो वह विकास की ओर अग्रसर होता है। तब वह केवल उन तत्वों का विनाश करता है, जो विकास में बाधक हों। पर आज समाज में विनाश के बल पर विकास की प्रवृत्ति बढ़ रही है-खासकर सरकारों में। एक अत्यंत ही छोटा अभिजात तबका अपना विकास एक बड़े तबके की कीमत पर कर रहा है। यानी 90 प्रतिशत की कीमत पर 10 प्रतिशत का विकास हो रहा है। दुनिया की सामंती, पूंजीवादी व साम्राज्यवादी सरकारों का यही नियम है। हम नहीं कहते कि हम बैलगाड़ी युग में चले जाएं या झोपड़ियों में रहने लगें लेकिन विकास के नाम पर हम प्रकृति और पर्यावरण को रौंदते रहेंगे, तो न जाने कितने उत्तराखंड घटेंगे? दोनों ध्रुवों पर ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं। इनके पिघलने पर धरती को डूबने या समुद्र में तब्दील होने में देर नहीं लगेगी। कभी कल्पना करती हूं कि ऐसी स्थिति में जब पृथ्वी नहीं रहेगी तो समुद्र में मगरमच्छ और मछलियां ही बच जाएंगी, तब क्या होगा?

जब सृष्टि बनी थी तब पानी से 'अमीबा' उपजा था। फिर समुद्री जीव बने। उनमें से कुछ पृथ्वी पर रेंगने लगे और कुछ पक्षी बन-उड़ने लगे। कुछ चौपाये बन गये। इस प्रकार अनेक योगियों से होते हुए बंदर से मनुष्य बन गये। पर यह सब तो पृथ्वी पर ही घटना ना। जब पृथ्वी ही नहीं रहेगी तो ....? मैं कल्पना करके कांप उठती हूं। कभी अपनी इस कल्पना पर हंसी भी आती है कि मैं क्या बनूंगी? मछली बनूंगी तो कौन-सी मछली बनूंगी? खैर, यह विषयांतर हो गया।

अभी तो चिंता हमें उन हजारों लोगों की है जो वहां फंसे हुए हैं। श्रद्धालु भी, पर्यटक भी। हम नमन करते हैं अपने फौजी भाइयों की निष्ठा और लगन को। काश, हमारी जनता में भी यही जज्बा भर पाए और और वे अपने सारे संसाधनों का मुंह उत्तराखंड के पीड़ितों को राहत पहुंचाने में लगा दें। हालांकि वहां स्थानीय लोगों द्वारा श्रद्धालुओं और पर्यटकों को पहुंचायी जा रही मदद आश्वस्त करती है कि हममें अभी भी मानवता बाकी है-संवेदना जिंदा है।

अखबार में पढ़ा कि हमारे वैज्ञानिक चींटी से बचाव करने की प्रक्रिया से सीखने की कोशिश में लगे हैं। सृष्टि के गणित में चींटी सबसे अधिक छोटा और निरीह जीव है। वह अपने बचाव के लिए कतारबद्ध होकर एक कोने में जुट जाती है ताकि भीड़ के कारण आपाधापी न मचे, जैसा कि वैज्ञानिकों का दावा है। यदि चींटियों को अपने बचाव हेतु किसी बिन्दु पर पहुंचना होता है, तो भी वे कोने से होकर ही बचाव बिन्दु तक आती है। कोने में एक-दूसरे पर चढ़ने और उलांघने का सवाल ही नहीं उठता। दरअसल हम, खासकर भारतीय लोग कतार में चलना ही नहीं जानते। एक-दूसरे पर चढ़कर राह लूट लेने की प्रवृत्ति हम लोगों में रहती है। ऐसे समय में जब उत्तराखंड विनाश से गुजर रहा है, तो वहां चींटी के अनुशासन की दरकार है कि राहत ठीक से बंट सके और शरणार्थियों को उनकी अवस्था के अनुसार एक-एक करके सुरक्षित स्थान पर लाया जा सके। गिद्ध की तरह झपट्टा मार कर दूसरे का हिस्सा ले भागना, लूट कहलाता है, जो न्यायपरक नहीं होता यह। इसके लिए भारतीयों को अपनी मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाना होगा। दुर्भाग्यवश कोई भी धर्म न तो हमें तर्क सिखाता है न अनुशासन और न ही ईमानदारी। भारत में तो भगवान को घूस देकर सारे पाप माफ हो जाते हैं। इसलिए जितना चाहे कुकृत्य करो, पैसा बनाओ, भ्रष्टाचार करो, घूस देकर तो माफी मिल ही जानी है। गंगा में डुबकी लगाकर पाप कट ही जाने हैं। इसलिए आज हमारे यहां अधिकतर वही ईमानदार रह पाता है, जिसे बेईमानी करनी नहीं आती। ....

शेष अगले अंक में...

देहरादून में कैडर कैंप का आयोजन 27 अक्टूबर को

अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के उत्तराखंड प्रदेश इकाई की ओर से **27 अक्टूबर, 2013** को सुबह 10 बजे से सायं 5 बजे तक देहरादून में कैडर कैंप का आयोजन किया जाएगा। सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि वे इस आयोजन में भाग लें।

संपर्क

हीरालाल
09319890370

हरीश चंद्र आर्या
09412991760

VOICE OF BUDDHA

Publisher : Dr. UDIT RAJ (RAM RAJ), Chairman - Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42

● Year : 16 ● Issue 22 ● Fortnightly ● Bi-lingual ● 1 to 15 October, 2013

Unity of Dalits in Karnataka

J. Seenivasulu

Dr. Uditraj, National Chairman, All India confederation of SC/ST Organisations, said that dalits in Karnataka are divided and as a result neither, their grievances are redressed nor their rights are protected. To strengthen unity of dalits and secure their rights, a state level cadre camp was organized on 06.10.2013 (Sunday) at Jai Bheem Bhavan, Bangalore. The Camp was attended by various organizations and leaders, all of whom agreed that an effort will be made to unite dalits all over the state.

The disunity among dalits has given an opportunity to the government to ignore the constitutional rights like filling up of backlog posts, throwing open work of safai into contract system, harassment of employees and officers, not regularizing the safai workers and depriving SC/ST's from scholarship by restricting the income limit to Rs. 2.5 Lakhs. The plight of these communities are already worse in rural areas as most of the them do not have land rights. The SC/ST confederation, Karnataka state unit will go for an agitation to fight for their rights. Current policies of Karnataka Government are not only anti dalit but also against the poor and backwards. The Government Schools are the only means for their education but the Karnataka Government has decided to close down 12,000 government schools. Very lofty promise of the govt. to universalize education is further pushing away marginalized people from basic education in a way. The Right to Education is, in fact promoting, privatization of primary education and the midday meals has converted the schools into canteens.The children carry utensils to eat meal in the schools and come back and teachers are engaged to arrange the meals.

Shri M. Vemkataswamy, Shri. Gopal spoke on this occasion. Shri. Bheemajyothi Seenu & Shri. A.G.Vivekananda conducted cadre camp Shri. Mase & Dr. Parameswara were felicitated on this occasion Shri. Purushothama Dass presided over the function . A special issue of "Swabhimani " a kannada magazine was released.

Dr. Udit raj, informed that thousands of SC/ST`s will march to Delhi to participate in the rally to be held on 25.11.2013 under the leadership of J.Srinivasulu, Shri. Venkataswamy, Shri. Purushthama Dass, Shri. B.Goapal, Shri Bheemajyothi seenu, Shri. S.Rajendran, Shri. A.G.Vivekananda, Shri. Shanmugam, Shri. Satya Bhadravathi and Shri Henoor Srinivas. The All India confederation of SC/ST Organisations is fighting for reservation in private sector for a long time and yet to the central Govt. had not acceded.

A bill to facilitate reservation in promotions is pending in Lokasabha since last year and so far nothing has been done. To streamline reservation policy and implement it effectively, a bill to make reservation act is pending in parliament since 2004. It is demanded that not only these pending bills are passed in coming winter session, but another bill must be introduced and passed to give reservation in private sector. In Central Government, lakhs of back log posts are lying vacant. Government has repeatedly promised to fill them but till date, it is not done. It is urged that government should immediately address these demands. There is widespread unrest among SC./ST 's and backwards that promises are made but hardly implemented.

The privatization and globalization are creating a bipolar society. On the one hand only rich people have access to quality education, good services and fruits of development and on the other hand, poor are getting poorer and deprived of basic rights. Land rights are still dream for majority of these people despite the fact that various measures and laws have been made.

Demands of GAIL SC & ST Employees Welfare Association (GSEWA)

S. P. Singh

GAIL SC&ST Employees Welfare Association (GSEWA) has a close affiliation with All India Confederation of SC/ST Organization, New Delhi and has convened its 4th Central Executive Body Meet on 6th &7th Oct 2013 at GTI Sector 16A, Noida. The meet was inaugurated by former Additional Secretary MoP & NG Shri Devi Dayal Ji (Ex IAS) and has shared memorable moment of his unique instinct as a civil servant. The meeting was chaired by National Chairman of CGB-GSEWA and National Secretary All India Confederation of SC/ST Organisations, Mr. SP Singh. After a day-long deliberation on issues, house has elected Shri SP Singh (Lucknow) as its National Chairman in consecutive fourth time and Shri Bipul Taid (PATA) as its new General Secretary, Shri Kamal Singh (Noida) and Shri S R Nirbhavane (Vadodara) nominated as Vice Chairman and Treasurer of GSEWA respectively for the next two years.

Office Bearers of GSEWA from all over the country have deliberated the issue of mutual concern of SC&ST employees of GAIL and showed great concern, support and commitment for the need of issues of Reservation in Private Sector, Army, Judiciary, Joint venture companies, contracts in Govt. Dept./PSU and Reservation in promotion at all levels and desired to be taken up these demands at National Level though All India Confederation of SC/ST Organization under the leadership of Dr. Udit Raj, its National Chairman. Two days meet of GSEWA ends up with a thumping voice of commitments and determined endeavor for the betterment of deprived society as a whole.

Publisher, Printer and Editor - Dr. UDIT RAJ (FORMERLY KNOWN AS RAM RAJ), on behalf of Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42, Telefax:23354843, Printed at Sanjay Printing Works, WZ-4A, Basai Road, New Delhi.
Website : www.uditraj.com E-mail: dr.uditraj@gmail.com Computer typesetting by N. K. Karn